न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 159/2021

रचना ढाका उर्फ रचना नेहरा पत्नी गौरव ढाका, जाति जाट, निवासी मकान न0 38/2 वार्ड न0 31 गली न0 2 न्यु नोर्थ कॉलोनी लोहारू रोड़ पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

– वादीया

बनाम

1. शिवानी नेहरा पत्नी श्री धर्मेन्द्र नेहरा, जाति जाट, निवासी वार्ड न0 31 गली न0 1 न्यु नोर्थ कॉलोनी लोहारू रोड़ पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
2. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक, खाता विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक – 19.12.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि कृषि भूमि पुराना खाता संख्या 621 नया खाता संख्या 662 खसरा न0 1485/864 रकबा 0.5400 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.5400 है0 स्थित मौजा पिलानी, पटवार हल्का पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित है, जिसमें वादिया का हिस्सा 1177/5400 है0, जिसके राजस्व रिकॉर्ड में भूमि नक्शे में अंकित खसरा नम्बर 1665/1485 को दुरूस्त किया जाकर हिस्सा क्षेत्रफल 1177/5400 है0 दर्ज कर वादिया को अलग से खातेदार काश्ताकार घोषित किया जाकर अलग लगान कायम कर अलग से पासबुक जारी की जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादग्रस्त भूमि को विक्रय रहन, खुर्द–बुर्द आदि ना करें।

(ग) यह कि अन्य सिद्वि जो चाहे जाने से रह गई हो व जो दौराने दावा उत्पन्न हो वो भी वादीया को प्रतिवादीगण से दिलवाई जाना फरमाया जावें।

(ग) यह कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादीया को प्रतिवादीगण से दिलवाया जाना फरमाया जावे।

Scanned with OKEN Scanner

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 05 की ओर से श्री राजेश चिरानियाँ एडवोकेट ने वकालतनामा एवं वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुआ राजीनामा पेश किया तथा वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमती व्यक्त की तथा आदेशिका में हस्ताक्षर किये। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 के वकील ने दावा को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख तहसीलदार एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट, नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नकल नक्शा, नकल नामान्तरण, फोटो कॉपी पुराना नक्शा एवं वादीया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का राजीनामा तथा विभाजन प्रस्ताव ।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील पक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खाता संख्या 621 नया खाता संख्या 662 खसरा न0 1485/864 रकबा 0.5400 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.5400 है0 स्थित मौजा पिलानी का विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू0अ0/2022/2927 दिनांक 15.12.2022 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 159/2021

निर्णय दिनांक :– **19-12-2022**

रचना नेहरा बनाम शिवानी आदि

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादीया की ओर से **श्री नरेश कुमार शर्मा** एड0 व प्रतिवादी सं. 01 की ओर से **श्री राजेश चिरानियाँ** एड0 की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 19.12.2022 को **राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खाता संख्या 621 नया खाता संख्या 662 खसरा न0 1485/864 रकबा 0.5400 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.5400 है0 स्थित मौजा पिलानी का विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/2022/2927 दिनांक 15.12.2022 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़